



**बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना**  
**(बिहार सरकार का उपक्रम)**  
**निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 50/2024-25**

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना-800023
2. निविदा आमंत्रण की तिथि :- दिनांक-09.01.2025
3. निविदा कागजात बिक्री की तिथि, समय एवं स्थान :- दिनांक: 24.01.2025 से 14.02.2025 के अपराह्न 15:00 बजे तक संबंधित उप महाप्रबंधक (कॉलम-7 के अनुसार)।
4. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान :- दिनांक: 15.02.2025 के 15:00 बजे तक संबंधित उप महाप्रबंधक (कॉलम-7 के अनुसार) महाप्रबंधक (दक्षिण) तथा मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० का कार्यालय।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक: 15.02.2025 को 4:00 बजे।
6. कार्य की विवरणी :-

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                        | परिणाम विपत्र की राशि (₹ में) | अग्रधन की राशि (₹ में) | परिणाम विपत्र का मूल्य (₹ में) | कार्य समाप्ति की अवधि (माह में) | उप महाप्रबंधक का नाम |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                   | 3                             | 4                      | 5                              | 6                               | 7                    |
| 1        | भोजपुर जिलान्तर्गत आरा में बस पड़ाव के चाहरदीवारी का निर्माण कार्य। | ₹8,26,217.00                  | ₹16,600.00             | ₹1250.00                       | 03 (तीन) माह                    | पटना                 |

7. निविदा में चतुर्थ श्रेणी के संवेदक ही भाग ले सकते हैं।
8. निविदा के साथ निबंधन प्रमाण पत्र, GST निबंधन प्रमाण पत्र एवं आयकर पैन कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. परिमाण विपत्र के क्रय हेतु आवेदन के साथ निबंधन/ GST निबंधन का स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा कागजात का मूल्य बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में स्वीकार होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० (कॉलम-7 के अनुसार) के पदनाम से एवं भारतीय स्टेट बैंक /राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान होना चाहिए।
11. अग्रधन की राशि Fixed deposit receipt of a Scheduled Bank (Fixed Deposit receipt should be valid for six months after the last date of receipt of tenders)/Kisan Vikash Patra/Demand draft of a Schedule bank/Post office savings bank pass book (one, two or three year post office time deposit)/NSC issued within state/5 Yrs. Nation Development Bond/State Development loan certificate /State Development loan certificate, के रूप में स्वीकार होगा जो संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० (कॉलम-7 के अनुसार) के पदनाम से विधिवत् प्रतिज्ञित होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. विशेष शर्तों एवं जानकारी हेतु संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, (कॉलम-7 के अनुसार) के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. कार्य की परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य देय होगा।
14. भवन निर्माण विभाग का ज्ञापांक-5768 (भ), दिनांक: 18.07.2023 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate tender) पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को समाप्त कर दिया गया है तदनुसार निविदादाता को उक्त पत्र के आलोक में एकरारनामा के समय उनके द्वारा निविदित दर के अनुसार additional Performance guarantee जमा करना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता निविदा अपलोड करते समय एक शपथ-पत्र अपलोड करेंगे जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि वह बिहार सरकार/भारत सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/आदि से डिबार/कालीकृत नहीं हैं। निविदा प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक को कार्यपालक अभियंता के द्वारा डिबार किया जाता है तो निविदा में भाग लेने के लिए cut off date निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी तथा उनके निविदा का मूल्यांकन/निष्पादन किया जाएगा। यदि निविदा प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है जिसके कारण अभियंता प्रमुख द्वारा बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका-11(क) के तहत उन पर अपराधिक मामला बन जाता है अथवा निबंधन कालीकृत/निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसका प्रभाव कार्य आवंटन तक होगा।
16. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
17. गृह विभाग के पत्रांक-29 दिनांक-25.01.2021 के आलोक में कार्य का आवंटन निविदा के माध्यम से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों (संवेदक एवं उपसंवेदकों) से जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एकरारनामा के पूर्व समर्पित करना अनिवार्य होगा।

ह०/-

**मुख्य महाप्रबंधक,**  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

ज्ञापक:- 91

दिनांक: 09/01/2025

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को e-advertisement के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित ।

21/1/2025

मुख्य महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना ।

2